

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-310/2025 दिनांक 06.11.2025)
***दिनांक-06.11.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा चोरी गये दो अदद बैटरी के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा मुं0अ0सं0- 619/2025, धारा-303(2),317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. सैफ अंसारी पुत्र अलाउद्दीन अंसारी साकिन वार्ड नं 19 आजाद नगर नगरपालिका हाटा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर व 2. राजेश मद्धेशिया पुत्र हीरा मद्धेशिया साकिन थरुआडीह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को चोरी गये दो अदद बैटरी के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मुं0अ0सं0- 619/2025, धारा-303(2),317(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सैफ अंसारी पुत्र अलाउद्दीन अंसारी साकिन वार्ड नं 19 आजाद नगर नगरपालिका हाटा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. राजेश मद्धेशिया पुत्र हीरा मद्धेशिया साकिन थरुआडीह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

दो अदद बैटरी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 दिव्यांशु पाण्डेय थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. का0 राजकुमार थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
4. का0 नवनीत सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर



5. का0 अंकुर सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा 18 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमे में वादी/वारण्टी अभियुक्त नन्दू शर्मा को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा मु0नं0- 415/17 मु0अ0सं0 17/2007 धारा 302, 406, 120 बी भादवि (मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट) से सम्बंधित वारण्टी नन्दू शर्मा पुत्र चन्द्रिका शर्मा सा0 बंगरा दुमही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

वर्ष 2007 में ग्राम बंगरा दुमही निवासी श्रृंगारी देवी पत्नी चन्द्रिका शर्मा की हत्या उनके ही गांव के निवासी रोशन आलम उर्फ भुट्टू द्वारा की गई थी। इस सम्बन्ध में मृतका के पुत्र नन्दू शर्मा द्वारा थाना सेवरही पर उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त रोशन आलम उर्फ मिठ्ठू विगत कई वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। ट्रायल के दौरान मुकदमे के समस्त गवाहों के बयान अंकित हो चुके हैं, किन्तु वादी नन्दू शर्मा द्वारा बयान हेतु मा0 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण मुकदमा कई वर्षों से लम्बित था। मा0 न्यायालय द्वारा वादी नन्दू शर्मा को बार-बार बयान हेतु तलब किया जा रहा था, किन्तु मुकदमा पंजीकृत होने के कुछ वर्ष पश्चात् नन्दू शर्मा द्वारा अपनी पैतृक सम्पत्ति बेचकर अज्ञात स्थान पर चले जाने के कारण सम्मन की तामील नहीं हो पा रही थी। गांव, परिवार व आसपास से निरंतर जानकारी एकत्र करने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। थाना सेवरही पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जाते रहे। आज दिनांक 06.11.2025 को करीब 10 वर्षों से लापता चल रहे नन्दू शर्मा को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है।

अभियोग का विवरण-

मु0नं0- 415/17 मु0अ0सं0 17/2007 धारा 302, 406, 120 बी भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

नन्दू शर्मा पुत्र चन्द्रिका शर्मा सा0 बंगरा दुमही थाना सेवरही जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० राजेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. हे०का० मानवेन्द्र सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का०मो० आरिफ खान थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने आदि के मुकदमें में एक वांछित व एक अन्य वारण्टी सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा 1. मु०अ०सं० 510/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/324(4)/127(2)/318(4)/61 बीएनएस में वांछित अभियुक्त मुस्ताक अहमद पुत्र स्व० वारिस अली ग्राम बिन्दलिया बाड़ी टोला पोस्ट बरवारतनपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर व 2. मु०न०-1381/2025/250/2025 धारा 137(2)/87/65(1) व ¾ पास्को एक्ट से संबंधित वारण्टी हरेन्द्र उर्फ जुनियर पुत्र परदेशी साकिन भड़सरनारायन थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 510/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/324(4)/127(2)/318(4)/61 बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
2. मु०न०- 1381/2025/250/2025 धारा 137(2)/87/65(1) व ¾ पास्को एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुस्ताक अहमद पुत्र स्व० वारिस अली ग्राम बिन्दलिया बाड़ी टोला पोस्ट बरवारतनपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर (वांछित)
2. हरेन्द्र उर्फ जुनियर पुत्र परदेशी साकिन भड़सरनारायन थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० चन्द्रभूषण प्रजापति थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० अजीत कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
3. उ०नि० अनिल गहलोत थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर



4. का0 संदीप प्रजापति थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
5. का0 रामबचन यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि व विस्फोटक अधिनियम आदि के अलग-अलग मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्त व एक अन्य वारण्टी सहित कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 1. मु0अ0सं0 618/2025 धारा 137(2),87,64,74,351(3) बीएनएस व 7/8, 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त हरिओम यादव पुत्र उमेश यादव निवासी बलूचहा थाना पडरौना जनपद कुशीनगर, 2. मु0अ0सं0- 571/25 धारा – 5/9बी विस्फोटक अधि0 व 288,111(2)(b) बीएनएस में वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र स्व0 इजहार निवासी कसेरा टोली थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर व 3. मु0न0 9531/22 धारा 434 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी जितेन्दर पुत्र रामनाथ सा0 जंगल चौरिया थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

1. मु0अ0सं0 618/2025 धारा 137(2),87,64,74,351(3) बीएनएस व 7/8, 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 पडरौना कुशीनगर
2. मु0अ0सं0- 571/25 धारा – 5/9बी विस्फोटक अधि0 व 288,111(2)(b) बीएनएस थाना को0 पडरौना कुशीनगर
3. मु0न0 9531/22 धारा 434 भादवि थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त हरिओम यादव पुत्र उमेश यादव निवासी बलूचहा थाना पडरौना जनपद कुशीनगर (वांछित)
2. मोनू पुत्र स्व0 इजहार निवासी कसेरा टोली थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर (वांछित)
3. जितेन्दर पुत्र रामनाथ सा0 जंगल चौरिया थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर



2. उ०नि० अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी सुबाष चौक थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर।
3. म०उ०नि० चन्दा यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
4. उ०नि० सचिन दिवाकर थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
5. उ०नि० आलोक पाण्डेय थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का० अनुज सरोज थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का० रोहित यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का० मनोज यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

०५ पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जायी जा रही १२ राशि भैंस व १० राशि पड़वा/पड़िया के साथ १० अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक ०६.११.२०२५ को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत ०५ पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जायी जा रही १२ राशि भैंस व १० राशि पड़वा/पड़िया के साथ १० अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना कप्तानगंज पर मु०अ०सं० ५११/२०२५ धारा ११ पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० ५११/२०२५ धारा ११ पशु क्रूरता अधिनियम थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

०१. ०५ पिकअप वाहन
०२. १२ राशि भैंस व १० राशि पड़वा/पड़िया

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

१. प्रदीप तिवारी पुत्र ओमकारनाथ तिवारी निवासी कुसुमही थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
२. ग्यासुद्दीन अली पुत्र विगुडी साकिन अमडरिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
३. सितोस कुमार महतो पुत्र पशुराम महतो साकिन बरवा शेख थाना लरिया जनपद प० चम्पारण विहार



4. ग्यासुद्दीन पुत्र रोज मोहम्मद साकिन बथवडिया थाना बथुवडिया जिला प0 चम्पारण विहार
5. साहब हुसैन बढई पुत्र हदीश बढई साकिन हिरासोली थाना रडहा जिला प0 चम्पारण विहार
6. रवीस यादव पुत्र रामअवध यादव साकिन सिस्वा थाना धनहा जिला प0 चम्पारण विहार
7. अजरुद्दीन पुत्र साहबजाद साकिन दसहवा थाना बरवा पट्टी जनपद कुशीनगर
8. मोतीचन्द यादव पुत्रराधा यादव साकिन मसाई टोला थाना रडहा जिला प0 चम्पारण विहार
9. गोपाल यादव पुत्र रामधारी यादव साकिन अब्दुल चक थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
10. हरीन्द्र जयसावाल पुत्र स्व0 राधे जायसवाल साकिन सिस्वा मठिया थाना रविन्द्रनगर जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01. प्र0नि0 चन्द्रभूषण प्रजापति थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
03. उ0नि0 अजय कुमार सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
04. हे0का0 लालमोहन चौहान थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
05. का0 रामबचल यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
06. का0 विनय कुशवाहा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
07. का0 हरेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
08. का0 अभिषेक यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

03 पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जायी जा रही 08 राशि भैंस व 06 राशि पाड़ी के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा थाना को0 हाटा क्षेत्रान्तर्गत 03 पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जायी जा रही 08 राशि भैंस व 06 राशि पाड़ी के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना को0 हाटा पर मु0अ0सं0 621/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-



Edit with WPS Office

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुकेश यादव पुत्र छट्टू यादव साकिन नरायनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
2. जितेन्द्र राम पुत्र लक्ष्मण राम साकिन दुदही थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. सीताराम यादव पुत्र स्व0 रामदेव यादव साकिन नरहरपट्टी थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण-

- 1- 03 अदद पिकप
- 2- 08 राशि भैंस
- 3- 06 राशि पाड़ी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 सन्तराज यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 नरेन्द्र यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 मिथिलेश सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 राममिलन थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा एक अदद बोलेरो वाहन में छिपाकर ले जायी जा रही 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 8PM व रॉयल स्टैग (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 5 लाख 60 हजार रुपये) की बरामदगी की गई -

जनपद कुशीनगर में अवैध बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा एक अदद बोलेरो वाहन सं0-UP32BN6443 में छिपाकर ले जायी जा रही 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना जटहां बाजार पर मु0अ0सं0-166/2025 धारा 60/72 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-166/2025 धारा 60/72 आबकारी एक्ट थाना जटहां



बाजार कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

(अवैध शराब की कीमत लगभग 60 हजार रूपये व बोलेरो वाहन की कीमत लगभग 5 लाख रूपये)

1. 10 पेटी 8 पीएम (कुल 48 पाउच)
2. 1 पेटी रायल स्टैग (कुल 12 बोतल)
3. एक बोलेरो वाहन सं० UP32BN6443

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० देवब्रत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. का० सर्वेश कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०नं० 121/2025 व मु०अ०सं० 01/2025 धारा 137(2)/65/87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वारण्टी-

सूरज गुप्ता पुत्र स्व० राजबली निवासी वार्ड न० 2 हरिहरपुर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी उ०नि० श्री महेश मिश्रा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. का० जितेन्द्र कुमार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. का० शिवबदन यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा गोवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम के मुकदमें में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-



जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.11.2025 को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 149/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त अनीश कुरैशी पुत्र इंद्रीश निवासी फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 149/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनीश कुरैशी पुत्र इंद्रीश निवासी फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाले टीम-

01. प्र0नि0 धनवीर सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 रविकांत सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
03. का0 गिरीश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
04. का0 दीपक सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 29 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-61 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-30, व्यक्ति-98
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(23)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-52)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

